(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3740—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—10—2015 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील हनुमना (मऊगंज) जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 396/ए—74/2014—15/निगरानी

.....

1— रामविशाल तनय स्व. श्री सुबुद्धी उर्फ बुद्धी काछी,
2— सूर्यभान कुशवाहा तनय स्व. श्री सुबुद्धी उर्फ बुद्धी काछी,
3— यज्ञभान कुशवाहा तनय स्व. श्री सुबुद्धी उर्फ बुद्धी काछी,
4— श्रीमती सुखमंती काछी पत्नी रामविशाल काछी,
निवासीगण— ग्राम सगरा खुर्द थाना व तहसील— हनुमना,
जिला—रीवा, (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामेश्वर प्रसाद तनय श्री द्वारिका प्रसाद,
निवासी— ग्राम टटिहरा थाना व तहसील— हनुमना,
जिला—रीवा, (म0प्र0) हाल मुकाम द्वारिका नगर रीवा (म0प्र0)
2— श्री राजकरण पाण्डेय तनय श्री पदमाक्ष प्रसाद पाण्डेय,
निवासी— ग्राम सिगटी तहसील— तहसील— हनुमना,
जिला—रीवा, (म0प्र0)
3— मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष जिला—रीवा (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण
अनावेदक—3 की ओर से पैनल अधिवक्ता

.....

आदेश

(आज दिनांक 18—11—2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना (मऊगंज) जिला—रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—10—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सगरा खुर्द तहसील हनुमना, जिला–रीवा में स्थित है वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 104,107 एवं 108 कुल किता 3 जमला रकबा 14.64 एकड़ भूमि अनुपिया बेवा के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि थी। वर्ष 1945 के पुर्व में निः संतान थी और पवाईदार भी थी, अनुपिया के पास काफी भूमियां थी । अपने जीवनकाल में निगरानीकर्तागणों के पिता एवं पितामह को सेवा सत्कार एवं उनकी देखरेख करने के उपरांत उपरोक्त तीन किता भूमियों वर्ष 1935 के पूर्व दे दिया था और उनके नाम कब्जा दखल अर्सा पूर्व से लेकर आज दिनांक 16.11.2015 तक लगातार चला आ रहा है । उपरोक्त भूमि पर चौथी पीढ़ी का कब्जा दखल संयुक्त रूप से कायम है उपरोक्त भूमि पर निगरानीकर्तागणों के पिता सुबुद्धि उर्फ बुद्धि काछी एवं पितामह बाबादीन काछी का रहायसी मकान बना कर पेड़ पौधे मकान एवं खेती निगरानीकर्तागणों द्वारा की जाती रही तथा मोके से भी पेड़ पौधे मकान एवं खेती निगरानीकर्तागणों द्वारा की जा रही है । उपरोक्त भूमियों पर किसी अन्य व्यक्ति का मोके से कब्जा दखल नहीं है । वर्ष 1958–59 की खतौनी में सुबुद्धि काछी का आराजी क्रमांक 104,108 में भू स्वामी कालम एवं खेतीहर के कालम नम्बर 4 में नाम निगरानीकर्तागण क्रमांक 1 से 3 के पिता का नाम दर्ज है तथा कई राजस्व अधिकारीयों ने मौके की जॉच पड़ताल उपरांत तहसील हनुमना के कार्यालय में विचाराधीन प्रकरणों में कब्जा से संबंधित पुष्टि एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा निगरानीकर्ता के पक्ष में तहसीलदार तहसील हनुमना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 91 अ 74 /2001–02 तथा आदेश दिनांक 20.01.2004 के अनुसार आराजी न0 108 रकबा 2.395 है0 एवं आराजी न0 104/1क/1 रकबा 0.600 हे0 भूमि को दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना का प्रकरण क्रमांक 124/अ–74/2013–14 में अपील स्वीकार दिनांक 20.04.2015 को की गई । इस आदेश की जानकारी अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा आवेदकगणों को नहीं दी गई, मात्र आपत्तिकर्ता बतौर तहसीलदार मऊगंज के न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण में जानकारी होने पर आपत्ति प्रस्तुत किया, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति का निराकरण किये बिना ही विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 396/ए–74/2014–15 में दिनांक 20.10.2015 को आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदकगणों का कोई भी हक व अधिपत्य उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों पर नहीं है। अर्सा पूर्व वर्ष 1935 के पूव्र से

आवेदकगण का पिता व पितामह का मौके से कब्जा दखल कायम है। अनावेगदणों ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मऊगंज में विचाराधीन प्र0क्र0 396/ए–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2015 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुख्य हितबद्ध पक्षकार आवेदकगण है, लेकिन जानकारी उपरांत उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्तिकर्तागण रामविशाल आदि ने आपत्ति प्रस्तुत किया, लेकिन प्रस्तुत किये गये आपत्ति आवेंदन पर कोई विचार नहीं किया गया और विधि के विरूद्ध आदेश पारित किया है। आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं प्रस्तुत दस्तावेज का विधिवत अवलोकन नहीं किया गया तथा तहसीलदार हनुमना एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का हनुमना एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना एवं पंचनामा दिनांक 19.10.1995 पटवारी प्रतिवेदन रामविशाल बगैरह बनाम शासन म0प्र0 प्रकरण क्र0 1अ/1/195–96 तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रामविशाल बगैरह बनाम शासन मध्यप्रदेश के विचाराधीन प्रकरण में कार्यालय नगर पंचायत हनुमना, जिला–रीवा का क्रमांक 425 दिनांक 20.08.1996 को उपरोक्त भूमियों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदकगणों का कब्जा प्रमाणित माना गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगणों का पुस्तैनी कब्जा दखल है । अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण तत्थों पर कतई गौर नहीं किया है। आवेदक के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया है कि भूमि घोटाले में 28 जून 2008 को रीवा जागरण समाचार पत्र में अनावेदक क्र0 1 व 2 कृत्यों का विधिवत प्रकाशन हुआ है । पेपर की प्रति अवलोकन हेतु प्रकरण में संलग्न है। वर्ष 1950 के पूर्व से सब पट्टेदार थे, वर्ष 1958–59 के खतौनी में नाम आवेदकगणों का दर्ज है । राजस्व अभिलेख का सुधार कराने हेतु आवेदकगणों ने तहसीलदार न्यायालय में आवेदन पत्र दिया था। उसमें आदेश आवेदक के पक्ष में पारित किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के द्वारा भी आदेश की पुष्टि दिनांक 20.04.2015 को एवं प्रकरण क्र0 124/अ–74/2013–14 में रामविशाल आदि विरूद्ध शासन में आदेश पारित करते हुये समस्त तथ्यों का उल्लेख विधिवत किया गया और अपील स्वीकार की गई है। आवेदकगणों ने जानकारी अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियों का सुधार राजस्व अभिलेख में किये जाने का दिया गया था। खसरा खतौनी एवं दस्तावेजों के अवलोकन से वास्तविक एवं मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट है। उक्त भूमियों पर आवासीय मकान एवं पेड़–पौधे स्थित है तथा आबादी के अलावा भूमि पर खेती की जा रही है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया है कि आवेदकगणों को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में बने प्रावधानों के अनुकूल पट्टा प्रदान किया गया है। जो कि न्यायेचित है। तहसील न्यायालय ने आवेदन देने के उपरांत देरीना कब्जा का उल्लेख करते हुये तहसीलदार हनुमना ने विधि अनुकूल आदेश दिनांक 20.01.2004 को पारित कर खसरे में आवेदकगणों का नाम दर्ज कराया गया है जो खसरा वर्ष 2003–04 का अवलोकनार्थ है। कब्जा के संबंध में आवेदकगणों के पक्ष में कोई लेख नहीं किया गया न ही कोई आदेशों का जिक किया गया तथा अपने अंतिम आदेश में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। शासकीय पट्टेदार होने की बात है इस विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र की भूमि में शासकीय पट्टेदार स्वीकृत करने की अधिकारिता कलेक्टर महोदय प्रमीयम भू भाटक लेकर करने के प्रावधान तथा क्षेत्र की भूमि का शासकीय पट्टेदार होने का आदेश विधि संगत प्रतीत नहीं होता । विषयांकित भूमियां नगरीय क्षेत्र में स्थिति है। अधिकांश व्यक्तियों की आबादी बनी है, ऐसी स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(1) की कण्डिका के तहत नजूल भूमि घोषित किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय, रीवा को प्रकरण भेजा जाये, प्रकरण खारिज दाखिल रिकॉर्ड का आदेश दिया गया है। जबकि देरीना कब्जा आवेदकगणों का स्वयं व पिता व पितामह का है। आवेदकगण सीमांत कृषक है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1958–59 की खतौनी में काबिजदार व भू–स्वामी दर्ज है। सुबुद्धी का नाम दर्ज है जो आवेदक क्र0 1, 2 व 3 के पिता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित तथ्य व दस्तावेज अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत है। ताकि आवेदकगणों को अनावेदकगणों के विरूद्ध न्याय प्राप्त हो सके तथा भूस्वामी का अधिकार आवेदकगणों को अर्जित हो। उक्त भूमि पर आवेदकगणों का पैतृक कब्जा दखल है तथा पारिवारिक विभाजन अर्सा पूर्व में आवेदकगणों का हो चुका है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से अनावेदकगण, आवेदकगणों को बेदखल नहीं कर सकते और उपरोक्त स्वत्व व अधिपत्य की भूमियों में कब्जा दखल बना हुआ है। उपरोक्त प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो ग्राह्य किये जाने योग्य है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हनुमना में अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा वरिष्ठ न्यायालीन आदेशों का पालन कराने हेतु एक स्मरण आवेदन दिनांक 12.06.2015 को दिया गया था, जिसे न्यायालय

द्वारा अपने न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 396/ए–74/2014–15 कि रूप में पंजीबद्ध कराया गया, जिसमें दिनांक 20.10.2015 को अंतिम आदेश प्रकरण साजिशन प्रत्यावर्तित में प्राप्त होने पर तहसील मऊगंज के तहसीलदार श्री नन्हेलाल वर्मा द्वारा पारित किया गया है, जो वर्तमान में लोकायुक्त संगठन रीवा रंगे हाथों पकड़ लिये गये है। उक्त पंजीबद्ध प्रकरण वास्तव में न्यायालय तहसीलदार तहसल हनुमना द्वारा जरिये प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 02.08.1997 जो न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 2471–दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2003 एवं उसी क्रम में शासन मध्यप्रदेश जरिये कलेक्टर रीवा द्वारा दायर रिव्यु पिटीशन जरिये प्रकरण 1712–तीन/2003 पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 में विलीन हो चुका है, उसके पालन हेतु था, न कि नये शिरे से पक्षकार सहयोजन एवं किसी प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण का । न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर के द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में राजस्व अभिलेख अद्यतन कराने बावत प्रकरण क्रमांक 396/ए–74/2014–15 पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें किसी प्रकार की न्यायिक बाधा नहीं थी, क्योंकि जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित विधिक आदेश किसी वरिष्ठ सक्षम न्यायालय से स्थंगन न प्राप्त किया गया हो। उक्त दोनों ही परिस्थिति प्रकरण में उपस्थित नहीं थी न आज है। उक्त वरिष्ठ न्यायालय के आदेश उपरांत कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्र0 1 व 2 की विधिक रूप से पुस्तैनी है। जान समझकर भी मध्यप्रदेश शासन की भूमि मानकर अधीनस्थ न्यायालय नजूल भूमि घोषित करने हेतु प्रकरण को कलेक्टर रीवा की ओर अग्रेषित करना न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध और अनावेदक क्र 1 व 2 के न्यायिक हितों के शोषण हेतु अपनाई गई विधि विपरीत प्रक्रिया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यानी पीठासीन अधिकारी श्री वर्मा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 4 के कंण्डिका 1 में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करते हुये प्रकरण कलेक्टर रीवा की ओर भेजने का निर्णय पारित किया गया है। यह प्रावधान वास्तव में प्रश्नाधीन भूमियों के प्रति आकर्षित ही नहीं है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमियों राजस्व के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनावेदक क्र0 1 व 2 की पुस्तैनी भूमि घोषित एवं पारित आदेश है। " उक्त उल्लेखित प्रावधान में स्पष्ट किया गया है, कि नजूल एवं मिलिकयत सरकार के लिये सम्पत्ति(भूमियां) शासन की होनी चाहिये किसी खाते में शामिल नहीं होनी चाहिये। " यह तथ्य प्रकरण में विधिक रूप से उपस्थित नहीं है न था ।

6/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों अनावेदक क्र0 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा भूमि स्वामी मु0 अनुपिया जो दीपदयाल से सन् 1937 में क्रय की गई थी, जिसका विधिवत नामांतरण पारित होकर उसकी इत्तलयावी बन्दोबस्त खतौनी वर्ष 1924–25 में दर्ज अभिलेख है। उक्त के बाद लगायत राजस्व अभिलेखों में पूर्वजों के अनुक्रम में अनावेदक क्र0 1 व 2 का नाम वर्ष 1988 तक भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होता आया, इसके बाद जब हल्का पटवारी खसरा रोस्टर किये तो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश एवं विधि क्रिया अपनाये बिना ही खसरे के भूमिस्वामी कॉलम से अनावेदक क्र0 1 व 2 का ना विलोपित कर मध्यप्रदेश शासन का नाम दर्ज कर भूमियों को विवादित बना दिया गया । उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में सक्षम न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना के यहॉ संहिता की धारा 115, 116 सहपठित धारा 32 के अधीन आवेदन बावत खसरा सुधार प्रस्तुत किया गया, जिससे आवेदकगण आदि तथा शासन मध्यप्रदेश विधिवत पक्षकार सहयोजित होकर एवं सूचित प्रकरण थे। उक्त आवेदित प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/96–97 के रूप में था, जिसमें अन्तिम आदेश दिनांक 02.08.1997 को पारित किया गया था। जिसमें विधिक रूप से अवैध अतिक्रमणकारियों रामविशाल आदि का खसरे के अन्य प्रविष्टियों में दर्ज, नामां को तथा भूमिस्वामी कॉलम से शासन मध्यप्रदेश का नाम विलोपित करने एवं खसरे के भूमि स्वामी कॉलम में अनावेदक क्र0 1 व 2 का विधिवत नाम दर्ज करने बावत आदेश उल्लेखित किया गया, जिसकी इत्तलयावी हल्का पटवारी द्वारा खसरे में दिनांक 05.01.1999 को दर्ज की गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा या शासन मध्यप्रदेश द्वारा किसी वरिष्ठ न्यायालय में न तो चुनौती दी गई, न ही आदेश निरस्त कराया गया है। वह आदेश अन्तिम हो चुका था। हल्का पटवारी द्वारा जब अगला खसरा रोस्टर किया जाने लगा तो वास्तविक खसरा जिससे अगला खसरा रोस्टर होना चाहिये उसी में सम्बन्धित भूमियों बावत इत्तलयावी दर्ज थी, उससे रोस्टर न कर उसके पूर्व के खसरे का सहारा लेकर अवैधानिक रूप से अगला खसरा रोस्टर करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों में वहीं पुरानी प्रविष्टि जो खसरा सुधार आदेश के पूर्व में दर्ज थी, पुनः दर्ज कर फिर हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों को विवादित बना दिया गया । उक्त तथ्य की जानकारी के बार अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा त्रुटि सुधार हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हनुमना के न्यायालय में आवेदन दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विधि के विपरीत जरिये

प्रकरण क्रमांक 7/अ–129/2001–02 में दिनांक 16.05.2002 को आदेश पारित कर दिया गया । उक्त आदेश से अनावेदक क्र0 1 व 2 व्यथित होकर राजस्व मण्डल ग्वालियर में सीधे निगरानी प्रस्तुत की, जिसका न्यायालयीन प्रकरण क्र0 2471–दो/02 है, जिसमें निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय द्वारा अपना अन्तिम आदेश दिनांक 28.04.2003 को पारित कर दिया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हनुमना के उक्त वर्णित आदेश को निरस्त करते हुये न्यायालय तहसीलदार हनुमना द्वारा प्र0क्र0 27/अ–6–अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 02.08.1997 को स्थिर रखा गया । यानी उक्त आदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश में विलीन हो गया । अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा जब न्यायालय तहसीलदार हनुमना में दायर खसरा सुधार आवेदन जरिये न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/96–97 जिसमें दिनांक 02.08.1997 को अन्तिम आदेश पारित किया गया। सम्बन्धित प्रकरण में निगरानीकर्तागण विधिवत पक्षकार थे, उन्होंने अपना पक्ष समर्थन इस आशय का अभिकथन किया कि प्रश्नाधीन भूमियॉ मु0 तेजनी के स्वत्व अधिपत्य की थी, जिनके द्वारा निगरानीकर्तागण के पिता को आबादी निस्तार हेतु सन् 1935 में दी गई थी । इस सम्बन्ध में कोई विधिक लेख प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही आर्डर शीट में उपस्थिती बावत हस्ताक्षर किये गये । वास्तविकता यह है कि प्रयनाधीन भूमियॉ मु0 तेजनी की कभी भी न थी न है, बल्कि सम्बन्धित भूमियॉ मु0 अनुपिया जोजे दीनदयाल के स्वत्व अधिपत्य की थी । जो राजस्व अभिलेख बन्दोवस्त खतौनी 1924–25 में भी दर्ज अभिलेख है। वस्तुतः निगरानीकर्तागण के पक्ष समर्थन को उभय पक्षीय विचारण में न्यायालय तहसीलदार द्वारा आधारहीन एवं असत्य पक्ष समर्थन मानते हुए निर्णय पारित किया गया । न्यायालय तहसीलदार हनुमना द्वारा निगरानीकर्तागण के अवैध अतिक्रमण से सम्बन्धित तथा कथित खसरे के प्रविष्टियों को शासन मध्यप्रदेश का भूमिस्वामी कॉलम से नाम विलोपित करने तथा भूमिस्वामी कॉलम में गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 का नाम दर्ज करने हेतु खसरा सुधार आदेश किया गया। जिस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता गण द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई न ही किसी सक्षम न्यायालय से सम्बन्धित आदेश को निरस्त ही कराया गया वह आदेश अन्तिम आदेश हो गया था। निगरानीकर्ता दिनांक 20.10.2015 के पुर्व तक प्रश्नाधीन भूमियों को मु0 तेजनी के स्वत्व अधिपत्य की मानते आये है। उसी से प्राप्त करना भी अभिलिखित कराते आये है। उक्त आशय का अभिकथन निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये आवेदन, बावत् पक्षकार बनाये जाने के कंण्डिका 5 में तथा आवेदन बावत् आपत्ति दर्ज कारये

जाने के कंण्डिका 3 में स्पष्ट उल्लेख है, जो अधिनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण में शामिल/संलग्न है, अवलोकन किया जा सकता है।

7/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने लिखित तर्क में यह भी बताया कि न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर में प्रस्तुत निगरानी आवेदन में जो विचाराधीन प्रकरण है, आवेदन के तहरीह यानी प्रारंभिक पैरा में सुविधा के लिये आवेदन का पेज क्र0 2 का अवलोकन हो, जिसके तीसरी लाईन में स्पष्ट अब किया जा रहा है कि प्रश्नाधीन भूमियां मु0 अनुपिया की है। वही स्वत्व व अधिपत्यधारी थी। मु0 अनुपिया से अब सन् 1935 के पूर्व आबादी निस्तार हेतु भूमियां पाना बताया जा रहा है। उक्त तथ्य स्पष्ट होने के बाद आवेदकगण का निगरानी आवेदन मूलतः आधारहीन हो जाता है, विधिक रूप से लैखिक रूप में दर्ज अभिलेख थे। इस प्रकार आवेदकगण विधिक सद्भावी नहीं है, उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथनों से ही प्रमाणित है। प्रस्तुत निगरानीकर्तागण द्वारा मात्र काल्पनिक एवं असत्य आधारों पर तथा गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 के न्यायहित के विरूद्ध प्रकरण को उलझाने के कुप्रयास में प्रस्तुत की गई है। गैरनिगरानीकर्ता क्र0 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्र0 396/अ–74/2014–15 में पारित हास्यास्पद विधि विपरीत आदेश दिनांक 20.10.2015 से व्यथित होकर उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में रिट याचिका प्रस्तुत किये, जिसका प्रकरण/डब्ल्यू0पी0 नं0 19734/15 है। जिसमें माननीय न्यायालय त्वरित संज्ञान में लेते हुये प्रथम दृष्टया ही दिनांक 26.04.2016 को आदेश पारित कर अपने आदेश में कलेक्टर रीवा को निर्देशित किया है कि 2 माह की समयावधि में ही विधिक व्यवस्थानुसार न्यायालय के आदेश दिनांक 20.10.2015 पर निर्णय पारित करें अथवा कराये। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन एवं असत्य परस्पर विरोधी अभिकथनों पर आधारित है, जो मूलतः निरस्त करने योग्य है। अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक ने अनावेदकगण के विधिक हित में तथा वरिष्ठ न्यायालयीन आदेशों के सम्मान एवं विश्वास में आवेदन तर्क कंडिका 17 में वर्णित निवेदनों के अनुक्रम पूर्ति में न्यायिक आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

8/ उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा न्यायालय तहसीलदार हनुमना, जिला–रीवा के समक्ष वरिष्ठ न्यायालयीन आदेशों का पालन कराने हेतु एक आवेदन–पत्र दिनांक 12.06.2015

को दिया गया था, जिसे राजस्व मण्डल ग्वायिलर ने अपने न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 396/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2015 द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण तहसील न्यायालय में प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/1996–97 पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 02.08.1997 को आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हनुमना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विधि के विपरीत जरिये प्रकरण क्रमांक 7/अ–129/2001–02 में दिनांक 16.05.2002 को आदेश पारित कर दिया गया । उक्त आदेश से अनावेदक क्र0 1 व 2 व्यथित होकर राजस्व मण्डल ग्वालियर में सीधे निगरानी प्रस्तुत की, जिसका न्यायालयीन प्रकरण क्र0 2471–दो/02 है, जिसमें निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय द्वारा अपना अन्तिम आदेश दिनांक 28.04.2003 को पारित कर दिया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हनुमना के उक्त वर्णित आदेश को निरस्त करते हुये, न्यायालय तहसीलदार हनुमना द्वारा प्र0क्र0 27/अ–6–अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 02.08.1997 को स्थिर रखा गया । यानी उक्त आदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश में विलीन हो गया । अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा जब न्यायालय तहसीलदार हनुमना में दायर खसरा सुधार आवेदन जरिये न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/96–97 जिसमें दिनांक 02.08.1997 को अन्तिम आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में रिव्यु पेश की गई। जिसमें प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1712–तीन/93 में पारित आदेश दिनांक 19.05.15 द्वारा तहसीलदार हनुमना का प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 02.08.97 को यथावत रखा गया। न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका पेश की गई, जो याचिका क्रमांक/5025/2016 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत याचिका सारहीन एवं ठोस आधार के अभाव में निरस्त किया गया ।

9/ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों में आवेदकगण पक्षकार ही नहीं थे और न ही उनके द्वारा अन्य किसी सक्षम न्यायालय में इस प्रश्नाधीन आदेश को चुनौती दी गई है। ऐसे में यदि वे प्रकरण का निराकरण करना चाहते है तो न्यायालय राजस्व मंडल में पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय में

बंधनकारी है, जिसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। किन्तु मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत मात्र एक ही बार पक्षकार रिव्यु अथवा पुर्नविलोकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा पक्षकार द्वारा किया जा चुका है, जो प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1712–तीन/93 में पारित आदेश दिनांक 19.05.15 अवलोकनार्थ हेतु प्रकरण में संलग्न है। अतः पुनः संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र मान्य नहीं किया जा सकता। चूँकि इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है, किन्तु ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया, कि जिससे यह साबित हो सके की उक्त वादग्रस्त भूमियां आवेदकगण की है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों के अध्ययन से तो यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्र0 1 व 2 ही उक्त वादग्रस्त भूमियों के हकदार है। इसी आधार पर तहसीलदार, तहसील हनुमना, मऊगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2015 स्थिर रखे जाने योग्य है।

10/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, तहसील हनुमना, मऊगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2015 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर